

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 27/2015

संस्थित दिनांक-04/11/2009

फाईलिंग नंबर-230303002712009

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मौ, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

1. रवि यादव पुत्र पंचम सिंह यादव उम्र 26 साल
- 2- अवधेश यादव पुत्र कमलेश उम्र 29 साल
निवासीगण ग्राम लुहारपुरा थाना मौ
- 3- इक्का उर्फ इकलाख पिता रहीम खान,
उम्र 24 साल निवासी गोरियल टोला थाना मौ
- 4- सौरभ यादव पिता सुरेश सिंह यादव,
उम्र-23 साल, निवासी ग्राम लुहारपुरा
थाना मौ जिला भिण्ड

.....आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक
आरोपीगण रवि, अवधेश, इक्का द्वारा श्री मुंशीसिंह यादव अधिवक्ता
आरोपी सौरभ यादव द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 08 अक्टूबर-2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 394 सहपठित धारा-397 भा0द0वि0 एवं 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-21/05/2009 को दिन के करीब दो बजे बस स्टेण्ड मौ अंतर्गत थाना मौ जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में फरियादी नवलसिंह के आधिपत्य से नगद 10,000/-रुपये की लूट का प्रयत्न किया और लूट के प्रयत्न के अनुक्रम में प्राण घातक आयुध से सुसज्जित रहते हुए उसे स्वेच्छापूर्वक अस्थि भंग की उपहति कारित की ।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक को राजस्व जिला भिण्ड में म.प्र. डकैती एवं ब्यपहरण प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1981 प्रभावशील था ।

तथा यह भी निर्विवादित तथ्य है कि आरोपीगण ग्राम लहचूरा और गोरियनटोला मौ के निवासी हैं जो कि थाना मौ के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं। यह भी स्वीकृत है कि आरोपीगण व फरियादी घटना के पहले से एक दूसरे को जानते हैं।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक-21.05.09 को फरियादी नवलसिंह दुकान क्रमांक-1 से दस हजार रुपये कैश लेकर आफिस में जमा करने के लिये जा रहा था। जैसे ही वह दुकान से थोड़ी दूरी पर पहुंचा कि अवधेश, रवि, सौरभ व इक्का लाठियों लेकर आ गये और चारों ने उसके साथ लाठियों से मारपीट कर दस हजार रुपये लूटने का प्रयास किया। चारों ने मारपीट की जिससे उसकी नाक, सिर में पीछे की ओर, कमर में, दाहिनी बांह में चोटें आईं। उसी समय रवि पुरोहित व अरविन्द शर्मा आ गये जिस कारण उसके दस हजार रुपये बच गये। इसके बाद खून अधिक निकलने से सुग्रीव शिवहरे, रवि पुरोहित, राजवीर यादव गाड़ी में डालकर तत्काल इलाज के लिये जिला अस्पताल भिण्ड ले गये जहाँ उसका इलाज चल रहा है।
4. फरियादी नवल सिंह राजावत की उक्त आशय की रिपोर्ट थाना मौ पर देहाती नालिसी क्रमांक-0/09 पर लेखबद्ध की गई जिस पर से थाना मौ में आरोपीगण के विरुद्ध अप.क्र.-103/09 धारा-393 भा0द0वि0 धारा-11, 13 डकैती अधिनियम के अंतर्गत कायम किया गया। विवेचना के दौरान नक्शामौका, जप्ती व आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं साक्षियों के कथन उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।
5. अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 394 सहपठित 397 भा0द0वि0 एवं धारा-13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। उनकी ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गयी है।
6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
 - 1- क्या आरोपीगण ने दिनांक-21/05/2009 को दिन के करीब दो बजे बस स्टेण्ड मौ अंतर्गत थाना मौ जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में फरियादी नवलसिंह के आधिपत्य से नगद 10,000/-रुपये की लूट का प्रयत्न किया ?
 - 2- क्या, आरोपीगण द्वारा उक्त समय, दिनांक व स्थान पर लूट के प्रयत्न के अनुक्रम में प्राण घातक आयुध से सुसज्जित रहते हुए उसे स्वेच्छापूर्वक अस्थि भंग की उपहति कारित की ?

:-निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 व 02 का निराकरण

7. उक्त दोनों विचारणीय बिंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।
8. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डॉ रविन्द्र चौधरी (अ0सा0-1), नवल सिंह राजावत (अ0सा0-2), डॉ आर.के. अग्रवाल (अ0सा0-3), एस.आई. अनीश मोहम्मद सिद्दिकी (अ0सा0-4), सुग्रीव सिंह (अ0सा-05) एवं अरविंद शर्मा (अ0सा0-6), की साक्ष्य कराई है तथा अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी.-1 लगायत-प्रदर्श पी.-06 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं।
9. परीक्षित साक्षियों में से डॉ0 रविन्द्र चौधरी अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 07.04.10 एवं 27.08.15 को दिये न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 21.05.09 को वह जिला अस्पताल भिण्ड में आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। तब नवलसिंह पुत्र वकीलसिंह राजावत निवासी ग्राम मेहदवा को उपचार हेतु रवि पुरोहित द्वारा लाया गया था जिसमें मारपीट में चोटें आना बताई थीं जिसे उपचार के लिये अस्पताल में उसने रोका था और थाना कोतवाली भिण्ड की अस्पताल चौकी के प्रभारी को प्र0पी0-1 की लिखित सूचना भेजी थी तथा आहत का परीक्षण करने पर नवलसिंह के सिर के दाहिने टैम्पोरल भाग में 1.5 गुणित 1 से0मी0 खरोंच का निशान तथा नाक पर बाईं ओर आंख के पास 8 गुणित 2 गुणित 2 मिलिमीटर का फटा हुआ घाव पाया था जिसके साफ करने पर रक्त बह रहा था और दबाने में दर्द था जिसकी उसने प्र0पी0-9 की एम0एल0सी0 रिपोर्ट तैयार की थी। उक्त चिकित्सक ने यह भी बताया है कि आहत को आई दोनों चोटें सख्त व मौथरी वस्तु से पहुंचाई गई थीं और परीक्षण से 24 घण्टे के भीतर की थीं। सिर की चोट साधारण प्रकृति की थी व नाक की चोट के लिये एक्सरे परीक्षण की सलाह उसने दी थी। दोनों चोटें सीढ़ियों पर से उतरते समय गिरने की स्थिति में ठोस वस्तु से टकराने पर आने की संभावना भी व्यक्त की है।
10. डॉ0 आर0के0 अग्रवाल अ0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह दिनांक 22.05.09 को क्ष-किरण प्रकोष्ठ जिला भिण्ड का प्रभारी रहते हुए पुलिस द्वारा लाये जाने पर उसने आहत नवलसिंह की नाक का एक्सरे परीक्षण किया था जिसमें नोजल स्पाइन का अस्थिभजन पाया था जिसकी प्र0पी0-4 की एक्सरे रिपोर्ट तैयार की थी जिसकी एक्सरे प्लेट आर्टिकल-ए है। उक्त चिकित्सक ने आहत को आया अस्थिभजन सख्त सतह पर गिरने से आने की संभावना व्यक्त की है। जमीन पर मुंह के बल पर गिरने पर भी उक्त चोटें आना बताया है।
11. इस प्रकार से उक्त दोनों चिकित्सकों के अभिसाक्ष्य मुताबिक यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 21.05.09 को जब आहत नवलसिंह को जिला अस्पताल भिण्ड में लाया गया था तब उसे साधारण और गंभीर चोटें आई थीं जिसे वह मारपीट में आना विवेचक को बता रहा था। प्र0पी0-9 की एम0एल0सी0 रिपोर्ट मुताबिक

आहत नवलसिंह का परीक्षण दोपहर 4.10 बजे किया था और चोटें 24 घण्टे के भीतर की बताई हैं। प्र0पी0-2 की देहाती नालिसी रिपोर्ट जिसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था उसके मुताबिक घटना बस स्टेण्ड मौ के पास देशी शराब की दुकान पर दिनांक 21.05.09 के दोपहर दो बजे की बताई गई है। ऐसे में आहत की चोट बताई गई घटना के समय की होना तो संभावित है। किन्तु प्रकरण में यह देखना होगा कि क्या आहत नवलसिंह को पहुंचाई गई चोटें आरोपीगण या उनमें से किसी के द्वारा ही पहुंचाई गई और वह भी उससे रूपयों की लूट करने के प्रयत्न में प्राणघातक आयुध से सुसज्जित रहते हुए पहुंचाई गई या नहीं? यह प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकित करना होगा क्योंकि प्रकरण में विवेचक और एफआईआर लेखक परीक्षित नहीं कराये गये हैं जिसके लिये अभियोजन को करीब तीस अवसर भी प्रदान किये गये थे। तथा साक्ष्य प्रस्तुति के लिये अभियोजन को रुचि लिये जाने के संबंध में जारी की गई आदेशिकाओं पर भी नोट लगाये गये और इस संबंध में स्पष्ट आदेश भी किये गये। पुलिस अधीक्षक भिण्ड को भी दिनांक 27.08.15 एवं दिनांक 07.09.15 को पत्र भी लिखे गये और थाना प्रभारी मौ को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के द्वारा भेजे गये पत्र दिनांक 16.09.15 के द्वारा निर्देश भी दिये गये थे किन्तु इन सब के बावजूद संपूर्ण साक्षी अथक प्रयास के बावजूद भी परीक्षित नहीं हो सके इसलिये अभिलेख पर जो साक्ष्य उपलब्ध हो, उसी पर से ही निष्कर्ष निकालने होंगे।

12. घटना में सर्वाधिक महत्व का साक्षी फरियादी नवलसिंह राजावत है जो अ0सा0-2 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 29.07.11 को दिये गये कथन में घटना तीन साल पूर्व की दोपहर बारह एक बजे के समय की बताते हुए यह कहा है कि वह खाना खाकर देशी शराब की दुकान पर जहाँ वह काम करता था, जा रहा था। बस स्टेण्ड मौ के पास में है। जैसे ही वह बस स्टेण्ड मौ के पास पहुंचा था तो कुछ लोग आ गये थे और उसकी मारपीट कर दी थी जिससे उसकी नाक टूट गई थी जिसकी उसने भिण्ड के जिला अस्पताल में रिपोर्ट लिखाई थी। उसने आरोपीगण की उपस्थिति में भी न्यायालय में साक्ष्य देते हुए यह कहा है कि वह उक्त चारों आरोपीगण को जानता है लेकिन उन्होंने उसके साथ कोई लूट नहीं की न ही उसने आरोपीगण के नाम पुलिस को रिपोर्ट में लिखाये। इस आधार पर अभियोजन द्वारा उसे पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षा की भांति सूचक प्रश्न भी पूछे गये किन्तु उसमें भी आरोपीगण के विरुद्ध उक्त आहत/फरियादी के द्वारा कोई भी तथ्य अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए नहीं बताया है और स्पष्ट रूप से इस बात से इन्कार किया है कि आरोपीगण के द्वारा उसकी मारपीट की गई। प्र0पी0-2 की देहाती नालिसी रिपोर्ट और प्र0पी0-3 के पुलिस कथन में भी वह आरोपीगण के नाम लिखाने से इन्कार करता है। यह अवश्य स्वीकार किया है कि मौके पर सुखवीर पुरोहित व राजवीर यादव आ गये थे जो उसे इलाज को ले गये थे। लेकिन उसने इस बात से पूर्णतः इन्कार किया है कि आरोपीगण ने उससे दस हजार रुपये लूटने का प्रयास किया। केवल इतना कहा है कि राजवीर यादव, सुखवीर पुरोहित व रवि पुरोहित के आ जाने से वह लुटने से बच गया किन्तु वह आरोपीगण को फंसाने से भी इन्कार करता है।

13. इस तरह से उक्त फरियादी मूल कथानक का आरोपीगण के संदर्भ में भी कोई समर्थन नहीं करता है जिससे आरोपीगण के विरुद्ध विरचित आरोप संदिग्ध हो जाते हैं और अब यह देखना होगा कि क्या जो अन्य साक्षी परीक्षित हुए हैं, उनके अभिसाक्ष्य से कोई आरोप या अभियोजन की घटना युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित होती है।
14. कथानक मुताबिक और स्वयं फरियादी नवलसिंह अ0सा0-2 के मुताबिक मौके पर रवि पुरोहित, सुग्रीव, राजवीर व अरविन्द का आना बताया गया है जिनमें से सुग्रीव अ0सा0-2 के रूप में और अरविन्द अ0सा0-6 के रूप में परीक्षित हुए हैं जिन्होंने भी पक्ष विरोधी होते हुए अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है और सुग्रीव ने प्र0पी0-7 व अरविन्द ने प्र0पी0-8 के पुलिस कथन पुलिस को देने से इन्कार करते हुए विचाराधीन आरोपीगण के द्वारा नवलसिंह से लूट का प्रयत्न करने और उसमें उसे उपहतियाँ पहुंचाने की घटना से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है। जबकि सुग्रीव व अरविन्द भी आरोपीगण को पहले से जानते थे। तथा सुग्रीव घटना के समय शराब की दुकान का मैनेजर था। नवलसिंह कर्मचारी था। इसके अलावा रवि पुरोहित को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी और उसकी अनेक आदेशिकाएँ जारी होने के बावजूद भी वह साक्ष्य हेतु उपलब्ध नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में घटना के स्वतंत्र व चक्षुदर्शी साक्षियों में से किसी से भी कोई समर्थन अभियोजन को प्राप्त नहीं हुआ है। सुग्रीव अ0सा0-5 प्र0पी0-6 के मेमोरेण्डम कथन का भी साक्षी है जिसका भी उसने कोई समर्थन नहीं किया है जिनमें आरोपी अवधेश के द्वारा घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद कराये जाने की सूचना दी गई थी हालांकि कोई लाठी भी जप्त नहीं हुई। ऐसे में प्र0पी0-5 के अवधेश के गिरफ्तारी पंचनामा और प्र0पी0-6 के अवधेश के धारा-27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत लेखबद्ध ज्ञापन का साक्षी उपनिरीक्षक अनीस मुहम्मद सिद्दीकी अ0सा0-4 के अभिसाक्ष्य से उसे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। जो पैरा-3 में यह भी स्वीकार करता है कि मेमोरेण्डम पर से कोई जप्ती नहीं हुई थी।
15. इस प्रकार से अभिलेख पर अभियोजन की ओर से जो साक्षी परीक्षित कराये गये हैं उनमें से किसी ने भी ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है जो आरोपीगण को विरचित आरोपों से जोड़ती हो और आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में सहायक हो। स्वयं फरियादी का समर्थन न करने से और नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद भी पूर्णतः मुकर जाने से संपूर्ण अभियोजन का मामला संदिग्ध है और युक्तियुक्त संदेह के परे यह कतई प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 21.05.09 को दिन के करीब 2.00 बजे बस स्टेण्ड मौ के पास से देशी शराब की दुकान के नजदीक पहुंचने पर फरियादी नवलसिंह राजावत के आधिपत्य से नगद दस हजार रुपये लूटने का प्रयत्न किया और उक्त लूट के प्रयत्न के अपराध के अनुक्रम में वे प्राण घातक आयुधों से सुसज्जित थे जिसका प्रयोग करते हुए उन्होंने लूट के प्रयत्न में नवलसिंह की मारपीट कर स्वेच्छया साधारण व घोर उपहतियाँ भी पहुंचाई। फलतः आरोपीगण को धारा-394 सहपठित धारा-397 भा0द0वि0 एवं 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

16. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
17. आरोपी अवधेश जिला जेल भिण्ड से प्रोडक्शन वारण्ट के पालन में पेश हुआ है तथा वह इस प्रकरण में जमानत पर है अतः उसके जेल वारण्ट पर नोट लगाया जावे कि आरोपी को इस प्रकरण में दोषमुक्त किया जा चुका है। यदि अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो तो उस तत्काल इस प्रकरण में रिहा किया जावे।
18. प्रकरण में निराकरण के लिये कोई संपत्ति जप्त नहीं है।
19. निर्णय की एक प्रति डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक: 08 अक्टूबर-2015

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)